न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 3/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

मनीष कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रामेश्वर लाल जाति जैन निवासी दूधवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर, हाल आबाद जाटिया बाजार सीकर, जिला सीकर (राज0)।

-वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रतिवादी

वाद–पत्र वास्ते रिकार्ड संशोधन
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 22.07. 2021**

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा भू.अभि.नि. क्षेत्र जीणमाता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0600 है0 अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0600 है0 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 में दर्ज है। वादी का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

मोहनलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल (फौत)

मोहरी लाल | मूलचन्द (फौत) | महावीर प्रसाद | रामेश्वर लाल (फौत)

मूलचन्द (फौत) → संतोष देवी पत्नि

रामेश्वर लाल (फौत) → मनीष कुमार पुत्र | संजय कुमार पुत्र

वादी के पूर्वज दादा स्व. मोहनलाल पुत्र श्री धन्नालाल जैन ने अपने जीवनकाल से ही उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0600 हैक्टर (किस्म गैर मुमकीन बाडा) जो सम्वत् 2023 से 2026 एवं सम्वत् 2044 से 2047 तक आबादी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी जिसका अंकन भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग राजस्थान राज्य की खतौनी बंदोबस्त में भी है। जिसके वर्तमान गलत खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0600 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

जमाबन्दी में दर्ज हो गया है। उक्त भूमि सदैव से अर्थात वादी के पूर्वजो से लेकर आज तक पहले वादी के दादा स्व0 मोहनलाल के कब्जे एव हक, अधिकार में रही तथा स्व0 मोहनलाल की मृत्यु उपरान्त उनके चारो पुत्रगण अर्थात वारिसान क्रमशः मोहरीलाल, मूलचन्द, महावीर प्रसाद, रामेश्वर लाल के हक अधिकार एवं कब्जेशुदा सम्पदा रही है तथा इनमें मोहरी लाल और महावीर प्रसाद को छोडकर शेष दोनों लडके स्व0 मोहन लाल के क्रमशः मूलचन्द और रामेश्वर लाल की मृत्यु उपरान्त इनके वारिसान अर्थात वादी और उसके चाचा ताऊ के वारिसान उपरोक्त सम्पदा पर बहैसियत मालिक शांति पूर्वक वर्तमान में काबिज चले आ रहे है तथा इन्होने पूर्वजों के समय से ही उक्त सम्पदा का पुख्ता चारदीवारी बनकार परियोजनार्थ काम लेते आ रहे है तथा किसी दीगर व्यक्ति का वादी की उक्त सम्पदा से लेना–देना एव सम्बन्ध–सरोकार तथा हक, हिस्सा नहीं रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश वादी की पैत्रिक पूर्वजों से प्राप्त उक्त स्वामित्वशुदा सम्पदा खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0600 हैक्टेयर (गैर मुमकीन बाडा) पुराने जिसके नये खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0600 हैक्टेयर में कतई गलत रूप से किस्म गैर मुमकीन बाडा के स्थान पर गैर मुमकीन रास्ता सम्वत् 2067 से 2070 की जमाबन्दी में कर दिया है जो कतई गलत है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी की पैत्रिक, पुश्तेनी कब्जेशुदा एवं पट्टेशुदा उक्त सम्पदा ग्राम दूधवा के आबादी क्षेत्र में सदैव से रही है तथा वादी के दादा स्व0 मोहनलाल का उक्त सम्पदा पर पुराना कब्जा चला आ रहा था तब से ग्राम पंचायत दूधवा ने सम्पूर्ण जांच के पश्चात् दिनांक 08.01.1981 को वादी का दादा स्व0 मोहनलाल पुत्र श्री धन्नालाल के नाम से 466.89 वर्गगज का पट्टा जारी किया था। वादी और उसके चाचा, ताऊ का परिवार आज भी उक्त पट्टेशुदा सम्पदा पर शांति पूर्वक काबिज चले आ रहे है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से उक्त सम्पदा खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0600 हैक्टेयर गैर मुमकीन बाडा पुराने के स्थान पर नये खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0600 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता अंकन कर दिया जिस आधार पर गांव के दीगर व्यक्ति वादी और उसके चाचा ताऊ के परिवार को हैरान व परेशान कर जबरन बेदखल करने की बदनीयति से आये दिन तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहा अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढावा देना शुरू कर दिया तब से वादी को श्रीमान के यहा राजस्व रिकार्ड में हुए उक्त गलत अंकन के संशोधन हेतु वाद–पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 एवं सम्वत् 2044 से 2047 तक वादी की उक्त पैत्रिक पुश्तेनी स्वामित्वशुदा एवं कब्जेशुदा आबादी भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0600 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन बाडा) पुराने व जिसके नये खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0600 हैक्टेयर सम्वत् 2067 से 2070 की जमाबन्दी में दर्ज किये गये अब सहवन से राजस्व कर्मचारियो ने जमीन भी किस्म गैर मुमकीन बाडा के स्थान पर गैर

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

मुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0600 हैक्टेयर पुराने तथा खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0600 हैक्टेयर नये सदैव से आबादी भूमि रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में किये गये उक्त गलत अंकन किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज हो जाने की आड में प्रार्थी/वादी के परिवार से राजनैतिक रंजिश रखने वाले गांव के दीगर व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी/वादी और उसके चाचा ताऊ के परिवार के लोगों को हैरान व परेशान कर इन्हें उक्त सम्पदा से जबरन बेदखल कर इनकी उक्त सम्पदा हडपने की बदनीयति से तहसीलदार महोदय, दांतारामगढ को बहकावे में लेकर सन् 2014 में कतई गलत रूप से धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 की कार्यवाही की गयी जिसके विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के यहा प्रार्थी/वादी ने अपील संख्या 115/15 अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 के तहत पेश करने पर बाद सुनवाई प्रार्थी/वादी के पक्ष में दिनांक 08.06.2015 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार महोदय, दांतारामगढ को पुनः रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया गया कि "अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.09.2014 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुराने व नये खसरा नम्बर की तुलनात्मक जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।" माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय के पश्चात् विगत कई वर्षो से आज तक वादी ने कई मर्तबा तहसीलदार महोदय के कार्यालय में चक्कर लगाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु मौखिक निवेदन किया परन्तु तहसीलदार महोदय ने रिकार्ड संशोधन हेतु श्रीमान के यहा दुरूस्ती का दावा पेश करने की बात कही तब यह रिकार्ड संशोधन हेतु वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है जो कियां जाना अति आवश्यक एवं न्याय संगत है। वाद कारण दिनांक 20.12.2020 को वादी द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहा कार्यालय में सम्पर्क कर रिकार्ड संशोधन हेतु पूछताछ की तो वादी को उक्त संशोधन हेतु श्रीमान के यहा दावा पेश करना लाजिम आया है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0600 है0 वाके ग्राम दूधवा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में किस्म गैर मुमकीन बाडा की बजाय संहवन से किस्म गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रखा है को दुरूस्त कर मुताबिक पुराने राजस्व रिकार्ड किस्म गैर मुमकिन बाडा संशोधित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0600 है0 वाके ग्राम दूधवा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में किस्म गैर मुमकीन बाड़ा की बजाय संहवन से किस्म गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रखा है को दुरूस्त कर मुताबिक पुराने राजस्व रिकार्ड किस्म गैर मुमकिन बाड़ा संशोधित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन कियां गया है कि ग्राम दुधवा की जमाबन्दी संवत 2019 से 2047 तक खसरा नम्बर 145 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु. रास्ता के पुराने ख.नं. 91 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै.मु. बाडा दर्ज थी जो सम्वत 2019 से लेकर सम्वत 2047 तक चली आ रही थी। भु प्रबन्ध के दौरान ख.नं. 91 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै. मु. बाडा के नये ख.नं. 145 रकबा 0.06 है0 दर्ज किया गया। तथा किस्म गै.मु. बाडा से बदलकर गै.मु. रास्ता दर्ज की गई ख.नं. 145 रकबा 0.06 है0 में से दो रास्ते प्रचलित है जो ग्राम दुधवा कि आबादी में से ख.नं. 145 के दक्षिणी सीमा से होता हुआ ख.नं. 145 की पश्चिमी सीमा से होकर उतर की तरफ मुख्य सडक को जाता है उक्त दोनों रास्ते आवागमन के काम आ रहे है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 145 रकबा 0.0600 है0 वाके ग्राम दूधवा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में किस्म गैर मुमकीन रास्ता के स्थान पर किस्म गैर मुमकीन बाड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

मनिष कुमार जैन   बनाम   राज्य सरकार

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 3 / दावा सन् 2021   निर्णय दिनांक. 22.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा 145 रकबा 0.0600 है0 वाके ग्राम दूधवा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में किस्म गैर मुमकीन रास्ता के स्थान पर किस्म गैर मुमकीन बाड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.07.2021 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ